प्रारूप–2

कार्यालयः– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।

आदेशः– बे0शि0 / शि0सहा / मान्यता / E.U.P.S/72/2015 / 2015–16 दिनांकः 05-6-2015

सेवा में,

प्रबन्धक
राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल,
एकेडमी, लालपुर टमोर,
कुन्दरकी, मुरादाबाद।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4)के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख........................ के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं राइजिंग स्टार पब्लिक एकेडमी, लालपुर टमोर, कुन्दरकी मुरादाबाद को तारीख 2015-16 से दिनांक 2017-18 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा N.C से कक्षा 8 (अंग्रेजी) तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा– 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा–2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या सरंक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण्ण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा– 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विवद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः–
   (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेलल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   (2) किसी भी बालक को शारिरीक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
   (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 की अधीन अधिकंथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा।
   (5)अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ सपर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐंसी न्यूनतम अर्हतायें, अर्जित करेगें।
   (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
   (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा– 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:–	पर्याप्त है
कुल निर्मित क्षेत्र	:–	
कीड़ास्थल का क्षेत्रफल	:–	–do–
कक्षाओ की संख्या	:–	–do–
प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डार के लिए कक्ष	:–	–do–
बालक और बालिकाओ के लिए पृथक शौचालय	:–	–do–
पेयजल सुविधा	:–	–do–
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई	:–	
बाधारहित पहुॅच	:–	–do–

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कारों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाये जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्अेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्याक E.U.P.S/72/2015 इतना है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिऐ संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए दिये गये अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाये।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

यदि आपके द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों में कोई तथ्य छिपाया हुआ पाया जाता है और उसके प्रकाश मे आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो बिना किसी नोटिस के मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(मुन्नै अली)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

पृ0सं0:– बे0शि0/शि0सहा0/मान्यता/E.U.P.S/72/2015/2015–16 दिनांक: उक्तवत्।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
3. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मुरादाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मुरादाबाद।

कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी कुन्दरकी ,मुरादाबाद ।

प्रबन्धक दिनांक - 17-03-2020

राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल एकेडमी

ग्राम -लालपुर हमीर ,कुन्दरकी

मुरादाबाद

विषय - विद्यालय मान्यता के नवीनीकरण के सम्बन्ध में ,

अवगत कराना है कि आपके द्वारा विद्यालय राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल एकेडमी , ग्राम - लालपुर हमीर , कुन्दरकी , मुरादाबाद को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,मुरादाबाद से निर्गत मान्यता पत्रांक -बे०शि०/शि०सहा०/मान्यता/EUPS/72/2015/2015-2016 दिनांक - 05/06/2015 की वैद्यता के प्रशंगत पत्र प्रेषित किया है जिसके सम्बन्ध में अवगत करना है कि मान्यता के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या - 418/79-6-2013-18 एस(7)/89 दिनांक - 08/05/2013 के बिन्दुसंख्या 13 के अनुसार **"यदि तीन वर्ष की औपबंधिक मान्यता की अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लन्घन से सम्बंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तब तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा की विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है "** का निर्देश दिया गया है । अत :उपरोक्त के सन्दर्भ में आपके विद्यालय की मान्यता वर्तमान में वधैय है जिसे नवीनीकरण की आवयश्कता नहीं है ।

17/03/2020

खण्ड शिक्षा अधिकारी

वि०क्षे० कुन्दरकी, मुरादाबाद